

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती, उन्नाव एवं वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 25 नवम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों से प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के हेतु राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 22.11.2021 तक फीड किये गये 13,43,620 प्रभावित कृषकों के सापेक्ष जनपदों द्वारा कुल ₹0 4,72,56,56,109 (रु० चार अरब बहत्तर करोड़ छप्पन लाख छप्पन हजार एक सौ नौ मात्र) की मांग की गयी है, जिसके सापेक्ष डाटा सत्यापित कर फीड किये गये 56 जनपदों के कुल 11,93,115 कृषकों को निम्न सात शासनादेशों संख्या-1724/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 21.10.2021, शासनादेश संख्या-1754/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 23.10.2021, शासनादेश संख्या-1766/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या-1779/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 29.10.2021, शासनादेश संख्या-1790/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 03.11.2021 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 08.11.2021, शासनादेश संख्या-1798/एक-10-2021-33 (11)/2021, दिनांक 11.11.2021 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 12.11.2021 तथा शासनादेश संख्या-1818/एक-10-2021-33 (11)/2021, दिनांक 17.11.2021 द्वारा कुल ₹0 4,15,45,03,180 (रु० चार अरब पन्द्रह करोड़ पैतालिस लाख तीन हजार एक सौ अस्सी मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

2- अतः उक्त वर्णित स्थिति में अवशेष 1,50,505 कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 56,32,53,030 (रु० छप्पन करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार तीस मात्र) की धनराशि कालम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-4 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद	कृषकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	बदायूं	5827	12822642
2	बहराइच	1292	5079020
3	बलरामपुर	283	870117
4	बाराबंकी	4026	15804914
5	बरेली	10741	29327007
6	बस्ती	325	2420383
7	बुलंदशहर	273	893183
8	चंदौली	83	281196

9	चित्रकूट	71	231277
10	फर्रुखाबाद	66	192047
11	फतेहपुर	145	473262
12	गाजीपुर	733	2998000
13	गोंडा	535	2820062
14	झांसी	1834	7613929
15	कन्नौज	4157	11615220
16	कानपुर देहात	464	1426226
17	कानपुर नगर	2167	6171066
18	कुशी नगर	21	57397
19	लखीमपुर खीरी	13749	53958131
20	ललितपुर	42266	222288075
21	महोबा	11464	20668203
22	मथुरा	32	408070
23	मिर्जापुर	10	78195
24	मुरादाबाद	10341	26794916
25	मुजफ्फरनगर	52	226062
26	रामपुर	12401	46195361
27	सहारनपुर	5	21975
28	शाहजहांपुर	110	396702
29	सिद्धार्थ नगर	159	928781
30	सीतापुर	22947	77303048
31	श्रावस्ती	3669	11748096
32	उन्नाव	107	431702
33	वाराणसी	150	708765
कुल योग		1,50,505	56,32,53,030
(रु० छप्पन करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार तीस मात्र)			

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पद पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3 - उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **रु० 56,32,53,030 (रु० छप्पन करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार तीस मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

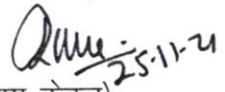
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 1891(1)/एक-10-2021-33(11)/2021, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-25/11/2021

प्रेषण संख्या:- 1891
आवंटन आदेश संख्या:- 143-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	21975 7260044	21975 7260044
2	मुजफ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	226062 1066827	226062 1066827
3	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	893183 6893183	893183 6893183
4	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	408070 2467034	408070 2467034
5	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	29327007 170104607	29327007 170104607
6	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12822642 43142858	12822642 43142858
7	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	26794916 102186870	26794916 102186870
8	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	396702 11599279	396702 11599279
9	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	46195361 137017093	46195361 137017093
10	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	192047 30246026	192047 30246026
11	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6171066 37292604	6171066 37292604
12	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	473262 4948480	473262 4948480
13	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7613929 422906464	7613929 422906464
14	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	708765 86534372	708765 86534372
15	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	78195 96661246	78195 96661246
16	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2998000 138795154	2998000 138795154
17	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2420383 96539147	2420383 96539147
18	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	431702 21303851	431702 21303851

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
19	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	77303048 234518541	77303048 234518541
20	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	53958131 426884898	53958131 426884898
21	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2820062 80314795	2820062 80314795
22	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5079020 301507803	5079020 301507803
23	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15804914 134991349	15804914 134991349
24	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	222288075 1038653731	222288075 1038653731
25	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1426226 44307515	1426226 44307515
26	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	928781 382706545	928781 382706545
27	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20668203 101910632	20668203 101910632
28	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	57397 124744127	57397 124744127
29	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	281196 37667236	281196 37667236
30	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	870117 112048910	870117 112048910
31	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	11615220 38407471	11615220 38407471
32	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	11748096 69439487	11748096 69439487
33	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	231277 15361184	231277 15361184
	योग	वर्तमान प्रगामी	563253030 4560429363	563253030 4560429363

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छप्पन करोड़ बत्तीस लाख तिरेपन हजार तीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब छप्पन करोड़ चार लाख उन्तीस हजार तीन सौ तिरेसठ

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।